(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.No.7/7/2017-आईआरएंडडब्ल्यूIR&W/12872 October 17 , 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : **डीएई में न्यनूतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर चुके अखिल भारतीय सेवा/ केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाएं विस्तारित करने के संबंध में।**

Subject **Extension of post-retirement medical facilities under CHSS to All India Services / Central Services Officers served in DAE on deputation for a minimum period of three years – Regarding**

अधोहस्ताक्षरी को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (सीएचएसएस) नियमावली, 1998 के पैराग्राफ संख्या 2.1.10 (i) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें सीएचएसएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पात्र बनने हेतु कर्मचारी की विभाग में सेवानिवृत्ति से पहले न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा का अनुबंध की हो।

The undersigned is directed to refer to Paragraph 2.1.10 (i) of Contributory Health Service Scheme (CHSS) Rules, 1998 which stipulates that employees should have put in a minimum five years service in the Department before his or her retirement to become eligible for availing of post-retirement medical facilities under CHSS.

2. ऐसे अखिल भारतीय सेवा एवं केंद्रीय सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार पांच वर्षों से कम के लिए विभाग में सेवा करते हैं और अपने संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रत्यावर्तित होते हैं या किसी अन्य सरकारी विभाग से उसके बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते हैं, के संबंध में उपरोक्त प्रावधान विभाग के विचाराधीन था। सीएचएसएस नियमावली, 1998 के उपरोक्त प्रावधानों पर उचित विचार के बाद आंशिक संशोधन करते हुए विभाग में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय सेवा के अधिकारी, जो पऊवि में प्रतिनियुक्ति पर निम्नलिखित शर्तों पर सेवा करते हैं, उनको **सीएचएसएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाएं विस्तारित** की जाएंगी :

The above provision has been under consideration of the Department in respect of All India Services and Central Services Officers who serve the Department for less than five years as per extant Recruitment Rules and repatriate to their respective Ministry / Department or superannuate thereafter from any other Government Department. After due consideration and in partial modification to the above provisions of CHSS Rules, 1998, it has been decided in the Department to **extend post-retirement medical facilities under CHSS** to such All India Services / Central Services Officers who render service in DAE on deputation subject to following conditions:

(a) सभी अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय सेवा के अधिकारी जो पऊवि में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर अधिवर्षिता से एक महीने पहले प्रशासनिक कारणों से अपने मूल काडर/विभाग में प्रत्यावर्तित होते हैं ;
All India Services / Central Services Officers who repatriate to their parent cadre / Department one month prior to superannuation for administrative reasons on completion of their deputation period in DAE;

(b) सभी अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय सेवा के अधिकारी जो पऊवि में प्रतिनियुक्ति पर न्यूनतम **तीन वर्षों** की अवधि के लिए सेवा करते हैं।
All India Services / Central Services Officers who serve in DAE on deputation for a minimum period of **three years;**

(c) बशर्ते कि यहां उपरोक्त खंड (क) एवं (ख) में उल्लिखित अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद सीएचएसएस स्टेशन पर बसते हैं।
Provided that the officers mentioned in clause (a) and (b) hereinabove settle down at a CHSS station after retirement;

(d) बशर्ते कि ऐसे अधिकारी यदि सीएचएसएस चुनते हैं तो वे भारत सरकार की किसी अन्य मेडिकल योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
Provided further that such officers shall not be eligible for any other medical scheme of the Government of India in case they opt for CHSS;

(e) पऊवि-सीएचएसएस नियमावली में समय-समय पर यथासंशोधित सभी अन्य प्रावधान जिस प्रकार से अन्य सीएचएसएस लाभार्थियों पर लागू होते हैं उसी प्रकार से इसमें उपरोक्त खंड (क) एवं (ख) में उल्लिखित अधिकारियों पर लागू होंगे; और
All other provisions of DAE-CHSS Rules as amended from time to time as applicable to other CHSS beneficiaries shall also be applicable to the officers; mentioned in clause (a) and (b) hereinabove; and

3. यह योजना इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सभी अखिल भारतीय सेवा/केंद्रीय सेवा के अधिकारी, जो इस कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि पर या उसके बाद अपने मूल काडर/विभाग में प्रत्यावर्तित होते हैं, वे सीएचएसएस के तहत सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल सुविधाओं के लिए पात्र होंगे।

The Scheme shall be effective from the date of issuance of this OM. It is clarified that All India Services/Central Services Officers, who repatriates to their parent cadre/Department

on or after the date of issuance of this OM, shall be eligible for post retirement medical facilities under CHSS.

4. इस विकल्प का प्रयोग उपरोक्त अधिकारियों द्वारा उनकी अधिवर्षिता के समय पऊवि की इकाई के कार्यालय प्रमुख को अपना अनुरोध प्रस्तुत करके करना है, जहां पर उन्होंने आखिरी बार प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। ऐसे अनुरोध को उनके मूल मंत्रालय/कार्यालय के जरिए प्रस्तुत करना होगा, जहां से उनकी अधिवर्षिता हुई हो।

The option has to be exercised by the aforementioned officers at the time of his / her superannuation by submitting his / her request to the Head of Office of the Unit of the DAE where he / she had last served on deputation. Such request needs to be submitted through the Head of Office of his / her parent Ministry / Department from where he / she has superannuated.

5. इसे दिनांक 09.09.2019 के नोट सं. जेएस (एफ)/पऊवि/IV/5/20/वाल्यू.I/91 द्वारा वित्त सदस्य (एईसी) की सहमति से जारी किया जाता है।

This issues in concurrence with Member for Finance (AEC) conveyed vide Note No. JS(F)/DAE/IV/5/20/Vol.I/91 dated 09.09.2019.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

<u>सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities</u>

(वितरण सूची के अनुसार as per distribution list)

प्रतिलिपि : Copy to: (1) पऊवि सचिवालय के सभी अधिकारीगण एवं अनुभाग
All Officers and Section in DAE Secretariat.